उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी अनुभाग-1,
संख्या-42 /2016/1431 ई-1/तेरह-2016-499(11)/15,
लखनऊ::दिनांक: 01 सितम्बर,2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-41/2016/सी0एम0 29 ई-1/तेरह-2016-499(11)/15, दिनांक 31 अगस्त, 2016 द्वारा आबकारी विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ में वेतनमान रू0 9300-34800 एवं ग्रेड पे रू0 4600/- में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक का एक नि:संवर्गीय अस्थायी पद सृजित किया गया है। उक्त पद पर डा0 जमालुद्दीन, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित सेवा-शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्योजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) डा0 जमालुद्दीन को पुनर्योजन अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा उनका पुनर्योजन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मात्र 06 माह के लिये होगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि में डा0 जमालुद्दीन को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम्, इसमें से जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में उन्हें शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर महगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(3) डा0 जमालुद्दीन को उक्त अवधि में वित्त नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा, परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिये नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) उक्त अवधि में डा0 जमालुद्दीन को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे, जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16ए में प्राविधान है, अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

(6) डा0 जमालुद्दीन को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त नि:संवर्गीय पद की प्रास्थिति वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पद के समकक्ष होगी। डा0 जमालुद्दीन को वही सुविधायें अनुमन्य होंगी, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य थीं।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9 318/दस-2016 दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-42/2016/1431(1) ई-1/तेरह-2016-499(11)/15 तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) **महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
(2) **आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
(3) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.**
(4) **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)**
(5) **वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2.**
(6) **उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ प्रभार, लखनऊ।**
(7) **सम्बन्धित कर्मचारी।**
(8) **विभागीय आदेश पुस्तिका।**

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।